चिराग योजना : स्कूलों में दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य

योगेंद्र शर्मा ⏭ चंडीगढ़

सूबे में निःशुल्क में चिराग योजना के तहत शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सशर्त प्रवेश मिलेगा, इसका फायदा मात्र उन परिवारों को ही होगा जिनकी आय साल में एक लाख 80 हजार तक है। इस क्रम में सरकार के दिशा निर्देशों पर विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना को लेकर साफ कर दिया गया है कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई के लिए जहां पीपीपी अनिवार्य तौर पर देना होगा। वहीं, इसका लाभ वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार से कम वालों को मिलेगा।

- परिवार की सलाना आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए
- 1108 स्कूलों में 47255 सीटें आरक्षित

QuickSarkari.Com

शिक्षा विभाग ने जनवरी में आठ लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाने का फैसला ले लिया था, जिसको वापस ले लिया है। विभाग ने चिराग योजना के तहत नए शैक्षणिक सत्र के लिए 1108 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कुल 47 हजार 255 सीटें चिह्नित की हैं, जिन पर छठी से बारहवीं तक के छात्रों को दाखिले दिए जाने हैं। इनमें छठी कक्षा में 7340, सातवीं 7146, आठवीं 7186, नौवीं के लिए 7168 और दसवीं की 6863 सीटें शामिल हैं। उधर, ग्यारहवीं में 5829 और बारहवीं में 5723 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे।दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अनिवार्य किया है, जिसमें दर्ज सत्यापित आय को ही आधार माना जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए नियमों के अनुसार पात्र बच्चों को ही लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

15 अप्रैल तक होंगे एडमिशन

चिराग योजना को लेकर वैसे, तो स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन का समय 30 मार्च को खत्म हो चुका है। इसके बाद में एक से पांच अप्रैल के बीच ड्रा निकाला जाएगा। स्कूलों को 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया का समापन कर सफल छात्रों की सूची विद्यालय नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी और रिक्त बची सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 16 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे।

नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों को 32 करोड़ जारी

नियम 134 ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को पढ़ाने वाले सात जिलों के निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि के रूप में करीब 32 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। जिसमें अंबाला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकूला और रोहतक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री ढांडा ने कहा कि इस अनुदान से न केवल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि निजी विद्यालयों को भी समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।

चिराग योजना में यू-टर्न, आय सीमा फिर 1.80 लाख निर्धारित

शिक्षा विभाग की लापरवाही ने निजी स्कूलों व अभिभावकों की बढ़ाई परेशानी

अमर उजाला ब्यूरो

QuickSarkari.Com

चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन बढ़ने पर आय सीमा को फिर से घटा दिया है।

पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दायरा बढ़ाते हुए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई थी। विभाग ने अब यह फैसला वापस लेते हुए दोबारा आय 1.80 लाख रुपये निर्धारित कर दी है।

निजी स्कूल संघ ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। यानी कि आठ लाख रुपये आय लिमिट वाला आदेश जारी होना शिक्षा विभाग की लापरवाही का नतीजा था। आठ लाख सालाना आय की लिमिट सिर्फ एडेड स्कूल या सरकारी स्कूलों में लागू होनी थी लेकिन विभाग की लापरवाही से इसे निजी स्कूलों में लागू कर दिया गया।

अब विभाग के नए आदेश से प्रदेशभर के सभी 10 हजार से अधिक निजी स्कूल संचालक और योजना के तहत दाखिला लेने वाले परिवारों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।

साल 2026-27 के लिए 47,250 सीटें तय

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभाग ने कुल 47,250 सीटें तय की हैं। ज्यादातर स्कूलों में आठ लाख रुपये आय वाले परिवार बच्चों का दाखिला करवाकर पर्ची लेकर चले गए हैं। निजी स्कूलों को 10 मार्च तक सीटों की जानकारी देने को कहा गया था। इसके बाद छात्रों से 13 मार्च से 30 मार्च तक आवेदन लिए गए थे।

आय घटाना अभिभावकों के साथ अन्याय : सत्यवान कुंडू

हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि पहले आठ लाख आय सीमा के तहत अभिभावकों ने आवेदन कर दिए थे लेकिन अब अचानक सीमा घटाकर 1.80 लाख करना अभिभावकों के साथ अन्याय है। संघ की मांग है कि आय सीमा फिर से आठ लाख रुपये की जाए ताकि अभिभावक परेशान न हों।

चिराग योजना पर यू-टर्न • 2 माह पहले ₹8 लाख की थी आय सीमा

₹1.80 लाख सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे ही निजी स्कूलों में फ्री पढ़ सकेंगे

- परिवार की आय सीमा घटने से कई विद्यार्थी योजना के दायरे से बाहर

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चिराग योजना के पात्रता नियमों पर बड़ा यू-टर्न लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार, अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में दाखिले के पात्र नहीं होंगे।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने 2 माह पहले लिए फैसले को पलटते हुए आय की सीमा को दोबारा घटाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया है। इस बदलाव से उन हजारों मध्यमवर्गीय परिवारों के अरमान टूट गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाने का सपना देखा था।

शिक्षा विभाग के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ को निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि पहले दिए गए आदेश वापस लिए जाते हैं। अब केवल वही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में 1.80 लाख रुपए या उससे कम सत्यापित है। बता दें कि इससे पहले 28 जनवरी को जारी निर्देशों में इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया था। अब अधिकारियों का कहना है कि पहले 8 लाख आय वाला पत्र गलती से जारी हो गया था।

गलती से जारी हुआ '8 लाख' आय का पत्र: निदेशक

चिराग योजना में 8 लाख रुपए तक की आय सीमा को लेकर पहले गलती से पत्र जारी हो गया था। मैंने कुछ दिन पहले ज्वॉइन किया तो इसके बारे में पता लगा कि दूसरी कैटेगिरी वाले मानक का अंतोदय वाली कैटिगिरी के लिए पत्र जारी किया हुआ है। अब इसे ठीक कराया है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए। पहले गलत पत्र जारी करने वाले अधीक्षक को चार्जशीट किया जाएगा।

-मनिता मालिक, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विभाग

QuickSarkari.Com

कक्षावार सीटें... सबसे ज्यादा छठी में हैं...

कक्षा	खाली सीटें	कक्षा	खाली सीटें	कक्षा	खाली सीटें	कक्षा	खाली सीटें
6वीं	7,340	7वीं	7,146	8वीं	7,186	9वीं	7,168
10वीं	6,863	11वीं	5,829	12वीं	5,723		

जानिए... किस जिले में कितनी सीटें (कक्षा 6 से 12)

जिला	खाली सीटें	जिला	खाली सीटें	जिला	खाली सीटें
अम्बाला	1,122	झज्जर	1,489	पंचकूला	149
भिवानी	4,367	जींद	3,005	पानीपत	3,153
चरखी दादरी	902	कैथल	3,776	रेवाड़ी	699
फरीदाबाद	698	करनाल	2,301	रोहतक	1,053
फतेहाबाद	2,219	कुरुक्षेत्र	2,126	सिरसा	3,312
गुरुग्राम	461	महेंद्रगढ़	1,552	सोनीपत	2,180
हिसार	7,149	नूंह/मेवात	2,039	यमुनानगर	1,616
		पलवल	1,887	**कुल योग**	**47,255**

अब ये स्टूडेंट्स होंगे पात्र

- योजना 6 से 12 कक्षा तक लागू होगी।
- योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने गत शैक्षणिक सत्र में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालय से प्राप्त की हो।
- जिस खंड में वे पढ़ रहे हैं, उसी खंड के एक या अधिक निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सहमति देने वाले निजी स्कूलों की सीटों का विवरण वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

30 मार्च तक देनी थी जानकारी

अभिभावकों को स्कूलों का चयन 30 मार्च तक किया जाना था। इसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूलों का चयन कर लिया था, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक थी, लेकिन अब इसे अचानक 1.80 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे परिवारों के बच्चों के अरमान अब पूरे नहीं हो पाएंगे। यानी इनको या तो खुद फीस देनी होगी या सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा।

अभिभावकों और विद्यार्थियों पर असर

अभिभावकों को स्कूलों का चयन करने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था। बड़ी संख्या में 8 लाख तक की आय वाले परिवारों ने इस उम्मीद में स्कूलों का चुनाव कर लिया था कि उनके बच्चे भी निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ सकेंगे, लेकिन अब आवेदन की अंतिम तिथि के पास आकर सरकार के इस यू-टर्न ने उन्हें मझधार में छोड़ दिया है। चूंकि एडमिशन की प्रक्रिया 1 से 15 अप्रैल तक होनी है। अब नियम बदलने से उन्हें निराशा होगी।

आठ लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का फैसला वापस

1.80 लाख तक आय वाले परिवारों के बच्चे ही पढ़ सकेंगे निश्शुल्क

चिराग योजना

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़ : हरियाणा में मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत केवल वही बच्चे मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे, जिनके परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है। शिक्षा विभाग ने जनवरी में आठ लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है।

शिक्षा विभाग ने चिराग योजना के तहत नए शैक्षणिक सत्र के लिए 1108 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कुल 47 हजार 255 सीटें चिह्नित की हैं, जिन पर छठी से बारहवीं तक के छात्रों को दाखिले दिए जाने हैं। इनमें छठी के कक्षा के लिए 7340, सातवीं के लिए 7146, आठवीं के लिए 7186, नौवीं के लिए 7168 और दसवीं की 6863 सीटें शामिल हैं। इसी तरह ग्यारहवीं में 5829 तथा बारहवीं में 5723 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे।

दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अनिवार्य किया गया है, जिसमें दर्ज सत्यापित आय को ही आधार माना जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए नियमों के अनुसार पात्र बच्चों को ही लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

चिराग योजना के तहत केवल वही छात्र निजी स्कूल में दाखिले के पात्र होंगे, जिन्होंने वार्षिक परीक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जिस खंड में पढ़ रहे हैं, उसी के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे। पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) लिया जाना अनिवार्य होगा। फार्म-6 भरने वाले स्कूलों को ही सरकार फीस की प्रतिपूर्ति करेगी।

मान्यता प्राप्त स्कूलों में 47 हजार 250 सीटों पर होंगे दाखिले, पीपीपी अनिवार्य, एक से पांच अप्रैल तक निकाले जाएंगे ड्रा

15 अप्रैल तक पूरी करनी होगी दाखिला प्रक्रिया

चिराग योजना के तहत स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन का समय 30 मार्च को खत्म हो चुका है। अब एक से पांच अप्रैल के बीच ड्रा निकाला जाएगा। स्कूलों को 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रकिया संपन्न कर सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शानी होगी। फिर रिक्त बची सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 16 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे।

134 ए के तहत निजी स्कूलों को 32 करोड़ रुपये जारी

नियम 134 ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को पढ़ाने वाले सात जिलों के निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि के रूप में करीब 32 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इनमें अंबाला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकूला और रोहतक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि इस अनुदान से न केवल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि निजी विद्यालयों को भी समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।

QuickSarkari.Com